SHRI B.S. GNANADESIKAN (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with this issue.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, I also associate myself with this.

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (Himachal Pradesh): Sir, I also associate myself with this issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes; all the Members who have raised their hands associate themselves with it.

Demand to Stop Renaming of Smriti Upavan Named after Kargil Martyrs as Kanshriram Smarak

श्री वीरेन्द्र भाटिया (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं एक बहुत दुखद और शर्मनाक बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

भारत की रक्षा करते हुए सीमा पर शहीद होने वाले सिपाहियों का हम हमेशा सम्मान करते हैं, उनके परिवारों को सहायता देते हैं, उन शहीदों की स्मृति में समाधियों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उन शहीदों और सेना में जो वर्तमान सिपाही हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनको प्रेरणा मिले। इसी प्रकार लखनऊ में जब कारगिल में जो शहीद हुए, उन तमाम शहीदों की स्मृति में माननीय मुलायम सिंह जी ने एक स्मृति वन का निर्माण कराया और उसको डेडिकेट किया, उसको राष्ट्र को समर्पित किया। कारगिल के शहीदों की याद में उसका नाम "समृति उपवन" रखा गया।

महोदय, इसकी घोषणा भाजपा सरकार के समय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी ने की थी, लेकिन उसे मुलायम सिंह जी ने साकार किया। महोदय, हमें बहुत दुख और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार ने कारगिल शहीदों के नाम पर बने स्मृति वन का नाम बदलकर माननीय कांशी राम स्मारक रखने का निर्णय किया है। यह अत्यंत ही दुखद् और शर्मनाक स्थिति है। महोदय, यही नहीं इस संबंध में जब उच्च न्यायालय के सामने याचिका की गयी तो उच्च न्यायालय ने जो कहा, मैं उसकी सिर्फ 4 लाइनें पढ़े दे रहा हूं, "We are satisfied that there is no occasion for the change of name of Smriti Upvan or Swarna Jayanti Upvan which has been named in the memory of martyrs who sacrificed their lives for the country in the Kargil War in the year 1999 into Kanshiram Smriti Upvan. Public emotions and honour to those patriots and national heroes who laid their lives to protect the honour of nation may not permit the State Government to take decision for the change ofthe name."

महोदय, यह उच्च न्यायालय ने observations किए और आदेश दिया कि उसे reconsider किया जाए। मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं कि मान्यवर कांशीराम के नाम से पूरे प्रदेश को बदल दिया जाए, लेकिन अमर शहीद, जो सेना के सिपाही हमारी सुरक्षा के लिए शहीद होते हैं, उनके नाम को बदलकर, उनके लिए समर्पित उपवन के नाम को बदलना राष्ट्र के शहीदों का अपमान है। मेरा अनुरोध है कि यह सदन और केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे जिससे हम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें और कोई भी भविष्य में इस प्रकार का कार्य न कर सके।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भाटिया जी के उल्लेख से अपने को सम्बद्ध करती हूं।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): सर, हम सभी अपने को सम्बद्ध करते हैं।

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश): सर, मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री वीर पाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): सर, मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): सर, मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (झारखंड): सर, सरकार इस संबंध में कुछ तो बोले, एक लाइन तो बोल दें।